दिनांक: 01.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर निंशादेही से फायंरिग की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर बरामद किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 14.01.2025 को वादी श्री हमीद पुत्र श्री बशीर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर के गेट पर वादी को जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 109 बी0एन0एस0 बनाम 1.आसिफ पुत्र अकबर 2..कंवर पुत्र तोय्यब निवासीगण ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर व 01 अन्य अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। दिनांक 08.02.2025 को अभियुक्त आसिफ उपरोक्त को गिरफ्तार कर व घटना में प्रयुक्त तमंचे को बरामद कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त तमंचो की बरामदगी हेतु निर्देश दिए गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.03.2025 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त कंवर अली पुत्र तोय्यब हसन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर** को पुलिस कस्टडी पर लेकर अभियुक्त की निंशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर का ग्राम घाटमपुर व नवाजपुर वाले रास्ते पर स्थित गेहूँ के खेत से बरामद किया गया।अभियुक्त का बाद कराकर मेडिकल पीसीआर की समयावधी के अन्दर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाये गये अभियुक्त कंवर अली उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा दोस्त आसिफ स्मैक बेचने का कार्य करता है। उसे सूचना मिली की कि हमारे ही गांव में रहने वाले हमीद के पुत्र महताब मेरे दोस्त द्वारा स्मैक बेचने के बारे में पुलिस से मुखबिरी कर रहा है। इसी वजह से की वह कभी भी पुलिस से मुखबिरी न करें,मैंन उसे डराने के लिए दिनांक 13.01.25 की रात्रि 11.30 बजे को अपने साथियो के साथ मिलकर हमीद के घर के गेट पर हमीद को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी, और फायरिंग कर हम वहाँ से भाग गये थे। जिस तमंचे से मैने हमीद के घर के गेट पर उसे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, वह तमन्चा मैनें घाटमपुर से नवाजपुर के रास्ते पर एक गेहूँ के खेत में छुपा दिया था ,जिसे आज मैंने पुलिस को बरामद करा दिया है।

अभियुक्त का नाम व पताः-

कंवर अली पुत्र तोय्यब हसन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 250/21 धारा 328/376/452/504/506 व ¾ पोक्सो एक्ट थाना नकुड़ सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर(फायंरिग की घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त की निशादेही से घटना में प्रयुक्त तमंचे की बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 348 कुलदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 618 अंकुर अहलावत थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-03-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा ट्यूबवैल से तार चोरी करने वाले शातिर चोर/ अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी गयी 01 केबिल लम्बाई 15 मीटर व 02 लोहे की एंगल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2025 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बसेडा थाना नागल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की ट्यूबवल से केबिल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0सं0 65/25 धारा 303(2)बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी गये सामान की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल के कुशल नेतृत्व में थाना नागल पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 01.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त मे त्वरित कार्यवाही करते हुए ट्यूबवैल से तार चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त **लाल सिंह उर्फ लालू पुत्र प्रेमचन्द निवासी बसेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर को** ग्राम ताजपुर नागल मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 बोरे मे 15 मी0 केबल एंव दो लोहे की एंगल बरमद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)बीएनएस की वृद्धिक की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। मुझे अक्सर रुपयो की तंगी रहती है। मैंन दिनांक 28.02.2025 को ग्राम बसेडा में एक खेत में बनी ट्यूबवेल से केबिल चोरी कर ली थी।आज जब मैं चोरी की केबिल को बेचने जा रहा था पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

लाल सिंह उर्फ लालू पुत्र प्रेमचन्द निवासी बसेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 15 मीटर केबिल
- 02 लोहे की एंगल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1.आईसी/प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना नांगल सहारनपुर
2.उ0नि0 पुष्पेन्द्र सिंह थाना नांगल सहारनपुर
3.है0का0 389 जितेन्द्र कुमार थाना नांगल सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-03-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिला से छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल एंव छीना गया 01 मोबाइल फोन बरामद

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 28.02.2025 को वादिया कु0 शैली सैनी पुत्री कर्म सिंह निवासी मौ0 इलाहीबक्श कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर कि लिखित तहरीर बाबत दो अज्ञात मोटर साईकिल सवार युवको द्वारा झपटा मारकर वादिया के हाथ मे से मोबाइल छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-68/25 धारा 304 बी0एन0एस0 बनाम दो अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर लूट,डकैटी व छिनैती जैसी घटनाओं की रोकथाम व इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर महिला से छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण **1.बिलाल पुत्र रियासत निवासी ग्राम ततारपुर थाना गंगोह सहारनपुर 2. मुबारिक पुत्र बुन्दू निवासी ग्राम ततारपुर थाना गंगोह सहारनपुर** को विद्यार्थी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से छीना गया 01 मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद हुई ।बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगणो ने एक स्वर में बताया गया कि हम दोनो ने करीब 5 से 6 दिन पहले कस्बा गंगोह में बाजार में जा री एक लडकी के हाथ में से मोबाइल फोन छीन लिया था। आज जब हम दोनो मोबाइल फोन बेचने जा रहे थे तो पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

बरामदगी -

- 01 मोबाईल फोन लावा कम्पनी
- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. बिलाल पुत्र रियासत निवासी ग्राम ततारपुर थाना गंगोह सहारनपुर
2. मुबारिक पुत्र बुन्दू निवासी ग्राम ततारपुर थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त मुबारिक का आपराधिक इतिहास -

1) मु0अ0सं0 192/19 धारा 294 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
2) मु0अ0सं 605/21 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3) मु0अ0सं0 607/21 धारा 414 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 नीरज कुमार गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 258 अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 2452 रक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर